पत्र संख्या-।प्रा0आ0-36/2002 434 /आ0प्र0 ।

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद नारायण झा, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव एवं आयुक्त,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 5.4.05

विषय :- वर्ष 2002-03 एवं भविष्य में वर्ष 2005 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैया कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के पत्रांक 3-9/2000-एन0डी0एम0 दिनांक 21 अगस्त 2001, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पत्रांक 32-3/2003-एन0डी0एम0-। दिनांक 23.4.2003 एवं पत्रांक 32-22/2004 एन0डी0एम0-I दिनांक -15.9.2004 एवं दिनांक 23.11.04 के द्वारा आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) से वर्ष 2000-2005 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर निर्धारित किया गया है ।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर आपदा राहत समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निम्नवत् साहाय्य-मानदर राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0 सं0	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र सं0-32-3/2003/एन0डी0एम0 दिनांक 23.4.03 एवं पत्रांक 32-22/2004 एन0डी0एम0-I दिनांक 15.9.2004 एवं 23.11.04 द्वारा निर्धारित मानदर ।
1	2	3
1.	अनुग्रह अनुदान :-	
	(क) प्राकृतिक आपदाओं से हुए मृत्यु के कारण, अनुग्रह अनुदान ।	50,000/- रु0 प्रति मृतक ।

क्र0पृ0उ0-------"2"

1	2	3
	(ख) प्राकृतिक आपदा के कारण विकलांग होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान ।	25,000/-रू0 प्रति विकलांग व्यक्ति (हाथ/पैर आदि की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होने की सरकारी चिकित्सक या चिकित्सा परिषद द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने पर) ।
	(ग) प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से घायल होने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर अनुदान ।	5,000/-रू0 प्रति व्यक्ति ।
	(घ) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित वृद्ध, बेसहारा एवं अनाहित एवं बच्चों के लिए अनुदान ।	20/-रू0 प्रति वयस्क प्रतिदिन । 10/-रू0 प्रति बच्चा प्रतिदिन ।
	(ङ) वस्त्र एवं बर्तन हेतु अनुदान जिन परिवारों का घर बाढ़ से बह गया हो/पूर्णतया प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो ।	कपड़ा के लिये 500/-रू0 प्रति परिवार । बर्तन के लिए 500/-रू0 प्रति परिवार ।
	(च) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता । यह अनुग्रह अनुदान केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाना चाहिए जिनके पास खाद्यान्न नहीं है अथवा जिनके खाद्यान्न प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद हो गए है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है ।	20/-रू0 प्रति वयस्क तथा 10/- प्रति बच्चा प्रतिदिन केवल नगद भुगतान के रूप में (आवश्यक सामग्रियों जैसे आटा, खाद्यान्न, किरोसिन तेल, सब्जी, माचिस की डिबिया, नारियल तेल इत्यादि के लिए) अधिकतम दो सप्ताह के लिए अथवा केन्द्रीय दल की अनुशंसा के अनुरूप ।
2.	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को अनुपूरक पोषण आहार हेतु नक्द भुगतान ।	1.05/-रू0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आई0सी0डी0एस0 मानदर के अनुसार ।

क्र0पृ0उ0———"3"

279

2	3
3. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को साहाय्य	
(क) डिसिल्टिंग इत्यादि ।	"नाबार्ड" पद्धति पर 25 प्रतिशत एवं 33.33% क्रमशः लघु एवं सीमान्त कृषकों की अधिकतम सीमा 5,000/-रू0 प्रति हे0 ।
(ख) पहाड़ी क्षेत्रों से डेबरिस (मलबा) हटाने के लिए ।	तथैव
(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/पुनर्स्थापना/मरम्मत ।	तथैव
(घ) कृषि इनपुट सब्सिडी जहाँ फसल क्षति 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक हुआ हो :-	
(i) कृषि फसल, रोपनी वाले फसल एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए ।	वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए 1000/-रू0 प्रति हेक्टेयर । सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र वाले फसल क्षेत्र के लिए 2500/-रू0 प्रति हे0 ।
(i)(अ) दूसरे अनुवर्ती वर्ष (या बाद के वर्ष में) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति होने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य किसानों को कृषि इनपुट सब्सीडी ।	1000/-रू0 प्रति हेक्टेयर प्रति कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिये प्रति कृषक ।
(ii) "पेरिनियल"(शाश्वत) फसल के लिए ।	4000/-रू0 प्रति हेक्टेयर ।
(iii) सेरीकल्चर (रेशम) किसानों के लिए साहाय्य ।	2000/-रू0 प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिये 1500/-रू0 प्रति हेक्टेयर "इरी" एवं "मलबेरी" के लिये ।
(ड.) भू-स्खलन, कटाव, नदियों के दिशा परिवर्तन के कारण भूमि की क्षति होने पर ।	10,000/-रू0 प्रति हेक्टेयर ।

कृ0पृ0उ0------"4"

(59)
278

1	2	3
4.	रोजगार सृजन §रोजगार सृजन संबंधी विभिन्न प्लान योजनान्तर्गत निधि उपलब्ध होने पर केवल अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति करने हेतु ।	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर अकुशल मजदूरों को दैनिक मजदूरी । इसके लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन §सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-विशेष घटक§ एवं 15/-रू0 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति§सी0 आर0एफ0/एन0सी0सी0एफ0§ एक महीना के 10 दिनों के लिये §जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अन्य योजनाएँ/परि-योजनाएँ संचालित नहीं है, वहाँ एक महीने के 15 दिनों के लिए§ के दर से साहाय्य निधि से राशि का योगदान सीमित रहेगा । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक न्यूनतम मजदूरी के बराबर की राशि उपलब्ध कराने हेतु उपर्युक्त साहाय्य निधि पर्याप्त नहीं हो तो शेष राशि का व्यय राज्य सरकार स्वयं वहन कर सकती है । वास्तविक आँकलन के आधार पर अलग-अलग मामलों में माँग के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराना ।
5.	लघु एवं सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को पशुपालन संबंधी साहाय्य –	
	§i§ अदुग्धकारी/दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन ।	ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत संबंधित योजनाओं के निर्धारित दर के अनुरूप ।
	§ii§ पशु शिविरों में पशुचारा हेतु ।	बड़ा पशु 18/-रू0 प्रतिदिन । छोटा पशु 9/-रू0 प्रतिदिन ।

कृ0पृ0उ0-------"5"

2	3
§iii§ पशु शिविरों में जलापूर्ति हेतु ।	अलग-अलग मामलों पर किये गए आँकलन के आधार पर ।
§iv§ पशुदवा एवं टीकौषधि पर अतिरिक्त लागत §प्राकृतिक आपदा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए ।	अलग-अलग मामलों पर किये गए आँकलन के आधार पर ।
§v§ पशुशिविर के बाहर पशुचारे की आपूर्ति ।	प्राकृतिक आपदा के कारण होनेवाली मूल्य वृद्धि का अलग-अलग मामलों में निर्धारण कर परिवहन पर आनेवाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन/समंजन ।
§vi§ उपयोगी पशुओं को अन्यत्र ले जाने हेतु ।	संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समर्पित योजना की पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ आँकलन के बाद ।
6. मछुआरों के लिए सहायता	
§अ§ नये नाव, जाल का क्रय एवं उसकी मरम्मति/पुनर्स्थापना ।	एस०जी०एस०वाई० योजना के अनुरूप उपकरणों के क्रय आदि में अनुदान दी जायेगी ।
§ब§ मछली का जीरा के लिये अनुदान ।	2,000/-रू० प्रति हेक्टेयर ।
7. हस्तकरघा क्षेत्र के शिल्पियों को उनके क्षतिग्रस्त उपकरणों के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु –	
§क§ परम्परागत शिल्पी के लिए	
§अ§ क्षतिग्रस्त उपकरण के लिए	1,000/-रू० प्रति व्यक्ति ।
§ब§ कच्चे माल के लिए	1,000/-रू० प्रति व्यक्ति ।
§ख§ हस्तकरघा बुनकरों के लिए	
§अ§ हस्तकरघा की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु ।	1,000/-रू० प्रति हस्तकरघा ।
§ब§ सूत एवं अन्य सामग्रियों के खरीद के लिये ।	1,000/-रू० प्रति हस्तकरघा ।

क्र०पृ०उ०---------"6"

1	2	3
8.	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति हेतु सहायता	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान (जहाँ मकान की मरम्मति संभव नहीं है और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है)	
	(i) पक्का मकान ।	10,000/-रू0 प्रति मकान ।
	(ii) कच्चा मकान ।	6,000/-रू0 प्रति मकान ।
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान ।	2,000/-प्रति मकान ।
	(ii) कच्चा मकान ।	1,200/-रू0 प्रति मकान ।
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15 प्रतिशत हो) ।	800/-रू0 प्रति मकान ।
9.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति ।	राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा आकलित किया जाना है।
10.	महामारियों के रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था ।	"तथैव"
11.	पशुओं एवं कुक्कुट को महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य सहायता ।	"तथैव"
12.	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के सुरक्षित स्थान पर निष्कासन ।	"तथैव"
13.	जीवन रक्षा/तत्काल साहाय्य पहुँचाने हेतु भाड़े की नाव की व्यवस्था ।	"तथैव"
14.	आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।	"तथैव"
15.	आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण ।	राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा आकलित किया जाना है।

क्रपृ0उ0----------"7"

2	3
16• तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु यातायात, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, पेयजलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक समुदायों की परिसम्पत्तियों की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन ।	राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा आकलित किया जाना है।
17• सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सकीय उपकरणों और बर्बाद दवाओं का पुनर्स्थापन ।	"तथैव"
18• एम्बुलेन्स सेवाएँ, चलन्त चिकित्सा दलों एवं अस्थायी अस्पतालों के संचालन के लिए केवल पी0ओ0एल0 ।	"तथैव"
19• मलवा की सफाई पर व्यय ।	राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा आकलित किया जाना है ।
20• बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी ।	"तथैव"
21• खोज एवं बचाव के उपाय पर व्यय ।	"तथैव"
22• मृत मानव एवं पशुओं के लाशों का निष्पादन ।	"तथैव"
3• विभिन्न विभागों के कार्मिकों के बहुआयामीय विशेषज्ञों का प्रशिक्षण आयोजित करना ।	आपदा राहत कोष से व्यय का भार वहन होगा ।
4• आपदा राहत कोष के वार्षिक उपबंध के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत यातायात उपकरण सहित आवश्यक खोज, बचाव/निष्कासन के उपकरणों की प्राप्ति ।	राज्य स्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा आकलित किया जाना है ।
• जन-साधारण उपयोग हेतु चार अंकों के कोड वाला दूरभाष की संस्थापना (निःशुल्क) ।	आपदा राहत कोष से व्यय का भार वहन होगा ।

क्र0पृ0उ0---------"8"

(274)

3• उपर्युक्त अंकित केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 9 से 24 तक के मदों में व्यय के संबंध में आपदा राहत कोष समिति द्वारा समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायगा कि इन मदों में हुए व्यय की आपदा राहत कोष से किस हद तक भरपायी की जाय ।

4• केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 14 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 50 किग्रा० गेहूँ एवं 50 किग्रा० चावल का वितरण किया जाय ।

5• यह मानदर पत्र निर्गत की तिथि से राज्य में प्रभावी हो जाएगा तथा केन्द्रीय आपदा राहत कोष से उसी के अनुरूप व्यय किया जाएगा ।

6• पूर्व में निर्गत मानदर संबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय ।

7• यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावी होंगे ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-1/प्रा०आ०-36/2002 474 /आ०प्र०, पटना-15, दिनांक 5.4.05

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-1/प्रा०आ०-36/2002 474 /आ०प्र०, पटना-15, दिनांक 5.4.05

प्रतिलिपि- श्री एस० के० स्वामी, निदेशक, (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन-I), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक-32-22/2004-एन०डी०एम०-I, दिनांक 23.11.2004 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।